

प्रति,

प्राचार्य

शास्त्र आचार्य गन्धर्वुनि नाम साहू

पी.जी. महाविद्यालय कवर्धा (छ.ग.)

विषय :- नियुक्ति हेतु आवश्यक ३२-तावेजों के प्रस्तुतीकरण
के संदर्भ में
संदर्भ :- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय तथा रायपुर ज
महोरम,
पृष्ठांक सं. ३९२०/रुफ-१-१९/२०१२/३८-१ तथा रायपुर (१२-११-१२)

संदर्भित विषयान्तगत लेख है कि मैं आज दिनांक
१९.११.२०१२ को आपके महाविद्यालय में नियुक्ति हेतु
समस्त आवश्यक ३२-तावेज तथा ^{रखें संबंधित रायपत्र} रायपत्रों की मूल प्रति,
समस्त अनुसूचीओं की सत्य छाया प्रति जमा कर रही
हूँ।
महोरम से समस्त निवेदन हैं कि तुम्हें जिला पिटिस्ताल
के मेडिकल नोडि का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत
करने हेतु वीस दिनों के समय देने की हया रहे।

Received

Om
22/11/2012

Joined on 19.11.12 (F.N)

Atchandus

भवारीय

महारा डिपेंडी

वर्तमान पता :- C/O अमित कुमार

मकान नं. 64-सु-३२ नगर

रायपुर (छ.ग.)

स्थायी पता :- 4/684 देवेन्द्र नगर

निजली ओफिस के पास अमेरी रोड
मिलासपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

नया रायपुर

-- 0 --

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3919/एफ-1-19/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 538/95/2010/19/चयन, दिनांक 21.06.2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (माइक्रोबायोलॉजी) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (माइक्रोबायोलॉजी) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

अनु. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
1	डॉ०(श्रीमती) साधना जायसवाल एल०आई०जी-35, सेक्टर-4, गायत्री फेसी स्टोर के सामने, दीनदयाल उपाध्याय नगर, उगनिया रायपुर, छ०ग० पिन.कोड 492010	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर	अनारक्षित महिला
2	रेखा गुप्ता, द्वारा बी०पी०गुप्ता, शांती नगर, जीरो रोड भिलाई, जिला-दुर्ग, छ०ग० पिन०कोड 490023	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डॉ०डीलोहारा जिला-बालोद	अनारक्षित महिला
3	प्रतिभा शर्मा, डी/20, विद्या नगर, शिव मंदिर के पास, बिलासपुर, छ०ग०, पि०कोड. 495004	शास.जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महावि. जांजगीर, जिला-जांजगीर	अनारक्षित महिला
4	रश्मि परिहार, द्वारा श्री आर०एस०परिहार, म०क०760, शासकीय हाई स्कूल के पास कोसा कारखाना रोड, कोनी, बिलासपुर छ०ग० पि०कोड 495009	शास. शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. बिलासपुर जिला-बिलासपुर	अनारक्षित महिला
5	डॉ० स्वतलाना नागल, 57, शिवाश्रय, शक्तीनगर, मकरोनीया, सागर, म०प्र० पि०कोड 470004	शास० माता कर्मा, कन्या महाविद्यालय महासमुंद	अनारक्षित महिला
6	दीपक कुमार देवांगन, नयागंज, कोस्टा पारा, गुरु नानक स्कूल के पास, रायगढ़ छ०ग० पि०कोड 496001	शासकीय कलिन्द सिंह महाविद्यालय अंतागढ़, जिला-कांकेर	अनारक्षित

अनु. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
7	कु० नीतू वासूले, द्वारा श्री रामकृष्ण वासूले मणीपुर स्कूल के पीछे भट्टापारा म०न० 136, यार्ड क० 39, अंबिकापुर, सरगुजा छ०ग० पि०कोड 497001	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर,	अनारक्षित महिला
8	प्रीति मेहता, पुराना बस स्टैण्ड, नेपाल लाज के पास, अंबिकापुर, सरगुजा, छ०ग०, पि०कोड 497001	शास. शासकीय शिवनाथ यादव तामस्कर पी. जी. कला विज्ञान महावि. दुर्ग, जिला-दुर्ग	अनारक्षित महिला
9	ऋचा द्विवेदी, 4/684, देवेन्द्र नगर, बिजली आफिस के पास अमेरी रोड नेहरू नगर, बिलासपुर, छ०ग० पि०कोड 495001	शास. आचार्य गन्धमुनि नाम साहब, पी०जी० महाविद्यालय कवर्धा	अनारक्षित महिला
10	जयश्री साहू, ए/1, श्री रामकॉलोनी, मोतीपुर, राजनांदगांव, छ०ग० पि०कोड 491441	शास. दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल, जिला-कोण्डागांव	अन्य पिछडा वर्ग
11	सचिन कुमार चंद्राकर, 71 अरिहन्त नगर, टोयटा शोरूम के पास, रिंग रोड डूमरतालाब रायपुर, छ०ग०,	शास. शहीद वैकटराव, महाविद्यालय, बीजापुर, जिला-बीजापुर	अन्य पिछडा वर्ग

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

कार्यालय प्राचार्य, आचार्य पंथ श्री गृध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

Email ID- govtpgcollege.kawardha@gmail.com, फोन नं. . 07741.232496

क्रमांक /राज.स्थापना/2017

कवर्धा, दिनांक /09/2017

प्रति,

संयुक्त सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना बाबत ।
:::000:::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-34/2017/38-1 नया रायपुर दिनांक 29.08.2017 के परिपालन में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त श्रीमती मंजूदेवी कोचे पति श्री विनोज कुमार कोचे, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) द्वारा आ.पं.श्री गृध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में आज दिनांक 08.09.2017 को अपरान्ह में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ली है ।

सादर सूचनार्थ

sd

प्राचार्य,
आचार्य पंथ श्री गृध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
कवर्धा दिनांक 8/09/2017

पृ.क्रमांक/854/राज.स्थापना/2017
प्रतिलिपि:

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,छ.ग.शासन,मंत्रालय, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार,छ.ग.,रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,ब्लाक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर ।
7. क्षेत्रीय अपर संचालक,उच्च शिक्षा संचालनालय बिलासपुर का सादर सूचनार्थ ।
8. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय, अधिकारी कबीरधाम को सादर सूचनार्थ ।
10. श्रीमती मंजूदेवी कोचे, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) आ.पं.श्री गृ.मु. नाम साहेब शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा ।
11. स्थापना/लेखा शाखा आ.पं.श्री गृ.मु. नाम साहेब शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा ।
12. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

ak प्राचार्य,

आचार्य पंथ श्री गृध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)


Principal
A.P.G.M.N.S. Govt. P.G.
College Kawardha (C.G.)

9644673064

प्रति,

प्रान्चार्य

शास्त्र आठ पंजी गन्धमूमे नाम साहब
पी.पी. महाविद्यालय, कवर्धा।



विषय :-

संकेत :-

कार्यभार ग्रहण करने संबंधित।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भगवती भवन,
नया रायपुर का आदेश क्रमांक स्फु 1-34/2017/38-1 नया
रायपुर दिनांक 29/08/2017।

महोदय जी,


उपरोक्त विषयानुसंगत संदर्भित आदेश में मेरी नियुक्ति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) पद पर किया गया है। जिसके परिपालन
में मेरे द्वारा पिछा मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त
समस्त दस्तावेजों की हयापति प्रस्तुत करते हुए आप
दिनांक 08.09.2017 उपरान्त को सहायक प्राध्यापक विषय
हिन्दी पद पर कार्यभार ग्रहण कर रही हूँ।

महोदय की ओर सादर प्रस्तुत करते हुए कुर्सी
कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें।

संकेत :- औद्योगिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की हयापति

बी. चंद्रवंशी
स्थापना शाखा
8/9/17

दिनांक
08.09.2017


श्रीमती मंजूदेवी कोने
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-34/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंग आ श्री रामाश्रय सिंह ग्राम रमिलियां पो राँया नं. 1 थाना -बोलापुर जिला-वाराणसी उ.प्र. 221101	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर जिला बलरामपुर	UR
2	श्री कमल सिन्हा आ श्री यशवत सिन्हा क्लबपारा वार्ड 26 नहर कांसिंग के वास महारासमुद छ.ग. 493445	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	OBC /UR
3	अर्पणा गौतम आ श्री एस.एस.गौतम एस.ई.सी.एल. आफिस के सामने गणपति कार गैरेज के पास सीपत रोड सरकण्डा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव रनातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	OBC /UR-F
4	श्री सनत कुमार आ स्व श्री रामा देवांगन, ग्राम पो सल्का नवागांव थाना कोटा, जिला बिलासपुर छ.ग. 495113	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा	UR
5	श्री राजीव यादव आ श्री दशरथ यादव क्वा. 345ई ब्रह्मपुर छात्रावास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 110067	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर	UR
6	नर्मता पाण्डेय आ. श्री प्रवीण पाण्डेय अशोक नगर सत्या मेडिकल स्टोर के सामने गली विरकोना रोड सरकण्डा बिलासपुर 495001	शासकीय बिलासा कन्या रनातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	UR-F
7	प्रतीमा सिंह आ श्री राम सुहावन सिंह पटेलनगर चौराहा रक्षपालपुर खखरेरु फतेहपुर उ.प्र. 212656	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाङ्गनगर	UR-F
8	श्री दिनेश कुमार संजय आ स्व श्री गंगाराम संजय, मु.पो. विखली थाना तह.पुरसोर जिला रायगढ़ छ.ग. 496100	शास.महावि.खरसिया	SC /UR
9	श्री विनय कुमार देवांगन आ श्री कोदूराम देवांगन मक 6 वार्ड डोगरीपारा श्रीहनुमान मंदिर कोण्डागाव छ.ग.494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव	OBC /UR
10	पायल लिलहारे पति श्री श्याम मोहन पटेल, 398/4 बजरंग कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के पास जबलपुर म.प्र.482001	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़	UR-F
11	विजय लक्ष्मी गौड पति श्री विजेनी विक्रम सिंह द्वारा श्री अश्विनी ठकराल मोहल्ला कानून गोयान निकट साईमंदिर अमरोहा उ.प्र. 244221	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR-F

43	श्री मनोहर लाल मारकण्डे आ स्व श्री कलीराम मारकण्डे ग्राम पो दहदहा ब्याया तह.कुरुद जिला-धमतरी छ.ग. 493663	नवीन शासकीय महाविद्यालय, किंगेश्वर	SC
44	श्रीमती मंगली बजारा पति श्री राजेन्द्र कुमार बजारा.ग्राम पो कोदवा(बागी) ब्याया तह.जिला-मुंगेली छ.ग. 495334	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़ जिला बेमेतरा	SC-F
45	श्रीमती पूनम कोरी पति श्री दिनेश कुमार कोरी ग्राम रमतला पो सेन्दरी थाना कोनी जिला-बिलासपुर छ.ग. 495009	शासकीय महाविद्यालय, मालखरौदा	SC-F
46	श्री बलदाऊ राम भेडिया आ श्री राम भेडिया ग्राम पो कोचवाय, थाना तह.जिला गरियाबंद छ.ग. 493889	शासकीय महाविद्यालय, बगीचा	ST
47	श्रीमती मंजूदेवी कोचे पति श्री विनोज कुमार कोचे शांतिनगर वार्ड 1 स/लोहारा तह. स/लोहारा जिला कबीरधाम छ.ग. 491995	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	SC-F
48	श्रीमती वंदना रानी खाखा पति श्री प्रबोध कुमार खाखा मकान नं. सी1,सी2 बालाजीपुरम कॉलोनी वसंत बिहार के पास लिगियाडीह बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.महा. मरवाही जिला बिलासपुर	ST-F
49	राजश्री भारद्वाज आ श्री फिरतालाल भारद्वाज ग्राम धुवाकारी पो.थाना पचपेड़ी तह. मस्तुरी.जिला-बिलासपुर 495551	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा कोहका	SC-F-O
50	श्री कमलेश कुमार मार्को आ श्री शिवप्रसाद मार्को ग्राम पो अमरपुर थाना तह.पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर छ.ग. 495119	नवीन शासकीय महाविद्यालय, डुमरिया (जरही)	ST
51	पूर्णमा सूर्यवंशी आ श्री गगेशराम सूर्यवंशी एचआईजी।। डी/ डी136 हसदेव विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जांजगीर जिला-जांजगीरचांपा छ.ग. 495668	शास.महा. उदयपुर जिला सरगुजा	SC-F-O
52	श्री बृहस्पतु सिंह विशाल आ श्री प्रहलाद विशाल ग्राम मुरुमडीह, पो. रायतुम तह.कसडोल जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493551	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल	ST
53	श्रीमती कमला बाई दिवान पति श्री मोहनलाल दीवान ग्राम खुरशुला पो.पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493338	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला महासमुन्द	ST-F
54	श्री दिनेश प्रताप सिंह पैकरा आ श्री रायसिंह पैकरा ग्राम ब्रम्हनी पो हरौद बाजार थाना तह. कसडोल जिला-बलौदाबाजार छ.ग. 493335	शास. मयूरध्वज महादानी राजा पी.जी.महा.चांपा,जिला जांजगीरचांपा	ST
55	श्री अनुपम सुमित तिर्की आ स्व श्री पी तिर्की आ. क.37 वार्ड 8 सिरसा रोड वॉदनी चौक कोहका दुर्ग छ.ग.490023	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	ST
56	श्री ताम्रध्वज साय पैकरा आ श्री रामदयाल पैकरा c/o श्री सुरेन्द्र साय पैकरा मरिजदपारा धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ छ.ग. 496116	शासकीय पालूराम धनलिया स्नातकोत्तर महा. रायगढ़	ST
57	श्री अनिल कुमार नेताम आ श्री सुरेश कुमार धुव वार्ड 4 इंदिरा कॉलोनी बलौदाबाजार छ.ग. 493332	शास.महा. खरौद जिला जांजगीर	ST

राज्य प्राचार्य, आचार्य पंथ श्री गृध्र मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

Email ID- govtpgcollege.kawardha@gmail.com, फोन नं. . 07741.232496

कवर्धा, दिनांक /09/2017


क्रमांक /राज.स्थापना/2017

प्रति,
अवर सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना बाबत ।
:::000:::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-26/2017/38-1 नया रायपुर दिनांक 29.08.2017 के परिपालन में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त श्री चंदन गोस्वामी आत्मज श्री पन्नालाल गोस्वामी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) द्वारा आ.पं.श्री गृध्र मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में आज दिनांक 21.09.2017 को पूर्वान्ह में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

सादर सूचनार्थ



प्राचार्य,

आचार्य पंथ श्री गृध्र मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कवर्धा दिनांक 25/09/2017

क्रमांक/935/राज.स्थापना/2017
प्रतिलिपि:

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार, छ.ग., रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर ।
6. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय बिलासपुर का सादर सूचनार्थ ।
7. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ ।
8. जिला कोषालय, अधिकारी कबीरधाम को सादर सूचनार्थ ।
9. श्री चंदन गोस्वामी आ.श्री पन्नालाल गोस्वामी सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) आ.पं.श्री गृ.मु. नाम साहेब शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा ।
10. स्थापना/लेखा शाखा आ.पं.श्री गृ.मु. नाम साहेब शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा ।
11. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।



91. प्राचार्य,

आचार्य पंथ श्री गृध्र मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::


नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-26/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1035/22/चयन/2017/जे. दिनांक 30.07.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री आशीष कुमार मिश्र आ.श्री वेदमणी मिश्र, ग्राम-विहरोजपुर, पो.-तिलगा,थाना गोपीगंज जिला- संत रविदास नगर भदोही उ.प्र. 221303	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलफिली	UR
2	तामेश्वरी साहू आ.श्री सरजुराम साहू, ग्राम-आगेसरा,पो.अरकार पाटन,व्हाया-सिकोसा,जिला- दुर्ग छ.ग. 491222	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC/ UR-F
3	डॉ सुरेश कुमार पटेल आ.श्री द्वारिका प्रसाद पटेल, c/o बलीराम पटेल,ग्राम बड़ी कोनी पो, -एमआई टीआई.कोनी बिलासपुर 495009	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तपकरा	OBC/ UR
4	श्री योगेन्द्र कुमार आ.श्री गुलाब चंद्र,ग्राम पो धुरेटनपुर,जिला- वित्रकुट,उ.प्र. 210202	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR
5	श्री विशाल सिंह आ.श्री चन्द्रभान सिंह, 61 डी/6 ई/1 ओम गायत्री नगर, तेलीयरगज इलाहाबाद उ.प्र. 211004	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम	UR
6	श्री विवेक कुमार जायसवाल आ. श्री राजेन्द्र प्रसाद c/o राकेश रावत, 1111/1283 पिपलवाली गली पुराना कटरा इलाहाबाद उ.प्र. 211002	शासकीय स्व. श्री महली भगत महाविद्यालय, कुसमी	UR
7	श्री नीलाम्बर पटेल आ. श्री काशीराम पटेल, आर्यभट्ट शांडिल्य निवास हेमन्त ज्वेलरी के सामने मरिजद रोड कोटा, रायपुर छ.ग.492010	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	OBC/ UR
8	श्री ओम प्रकाश बघेल आ. श्री भोकोराम बघेल, ग्राम-रसौटा पो.कोसमंदी, थाना तह.-पलारी, जिला-बलौदावाजार छ.ग.493228	शासकीय बाला साहेब महाविद्यालय, देशपाण्डे, कुनकुरी	SC/ UR
9	श्रद्धा मिश्रा पति श्री रितेश मिश्रा,एल 256 रोक्टर-2 प.दिनदयाल उपाध्याय नगर पारस करस्टेशन के पास रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	UR-F

10	श्री विनीत कुमार आ. श्री महेन्द्र कुमार राहू, ग्राम बेरलाकला, पो गुधेली, तह. बेरला, जिला-बेमेतरा छ.ग.490036	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा	OBC/UR
11	रुबी सिंह आ. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, म.नं.149 मवैया, हरडोपत्ती ज्ञानपुर एसआरएन भदोही, उ.प्र. 221304	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	UR-F
12	श्रीमती मीरा गुप्ता पति श्री दिलीप गुप्ता क्वान. डी/2 बैंक आफ इंडिया के वगल में गुरुघासीदास विश्वविद्यालय आवासीय परिसर कोनी बिलासपुर छ.ग.495009	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर	UR-F
13	श्रीमती शकुन्तला कोसरिया पति श्री दीपक कुमार देशलहरे पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.497001	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	SC/UR-F
14	श्रुति जायसवाल आ.श्री प्रकाश नारायण गुप्ता, केयर पब्लिक स्कूल के पास कानूनगोपुरा उत्तरी 631/ए बहराईच उ.प्र. 271801	शासकीय, डॉ. भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेन्द्रा	UR-F
15	श्री जागेश्वर कुमार भगत आ.श्री रामनाथ रामभगत C/O श्री आर सी पटेल हाईस्कूल के सामने विदुर भवन के पास लैलूगा रायगढ़ 496113	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव	ST/UR
16	श्री श्यामा चरण नेताम आ.श्री पुसऊ राम नेताम, कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी किंगेश्वर जिला गरियाबंद छ.ग.	शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय, कटघोरा	ST/UR
17	श्री चन्द्रकांत जलहरे आ. श्री दिलीप कुमार जलहरे ग्राम- अछोली, पो.कोसमंदी, तह.पलारी जिला-बलौदाबाजार छ.ग.493228	शासकीय महाविद्यालय बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार	SC
18	श्री चंदन गोस्वामी आ.श्री पन्नालात गोस्वामी, म. न. ए/33 विद्युत नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	SC
19	कैलाशा टाईगर पति श्री रांतोष कुमार सूर्यवंशी, ग्राम.पो.- विरकोना थाना -कोनी, बिलासपुर छ. ग.495009	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	SC-F
20	अनुपमा टोप्पो पति श्री प्रवीण कुमार C/O जार्ज खाखा गुरु घासीदास मंदिर के पास डीपू पारा तारवहार बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय, रायगढ़	ST-F
21	चित्रा खोटे पिता श्री हिममत लाल खोटे, ग्राम पो. -छछानपैरी विकास खंड अभनपुर, थाना- मुजगहन जिला-रायपुर 493661	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	SC-F
22	श्री प्रभा शंकर यादव आ.स्व.श्री मुनूराम यादव, ग्राम-ठनगन, पो.खोन्धर तह.थाना-डभरा, जिला - जांजगीर -चांपा छ.ग. 495688	शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़	OBC
23	श्री पीरी सिंह ठाकुर आ. स्व श्री होरीलाल ठाकुर वार्ड नं.-14 बरती पो.वि.सरायपाली जिला-महासमुंद छ.ग. 493558	शासकीय स्नातकोत्तर दन्तेश्वरी महाविद्यालय, दन्तोवाड़ा	ST

27	श्री नंदकिशोर प्रधान आ श्री प्रेमलाल प्रधान ग्राम सेमलिया पो. तोरेसिंहा तह. सरायपाली जिला महासमुंद छ.ग. 493558	शासकीय स्व. श्री जयदेव सतपथी महाविद्यालय, बसना	OBC /UR
28	श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल आ श्री छेदीलाल पटेल ग्राम पटुआ पो. बेलवार जनपद जौनपुर उ.प्र. 222201	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर	UR
29	श्री रजनीश कुमार यादव आ श्री श्रीनाथ सिंह यादव क्वा.नं. 239 ईएक्सई ब्रह्मपुत्र छात्रावास जवाहरलाल नेहरू वि.वि.नई दिल्ली 110067	शासकीय इन्दिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया	UR
30	श्री गोवर्धन प्रसाद सूर्यवंशी आ श्री घासीराम सूर्यवंशी वार्ड क. 18 आई.बी.रेस्ट हाउस के पास जाजगीर जिला-जाजगीर चांपा छ.ग. 495668	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बतौली	SC
31	श्री युगल किशोर पटेल आ श्री विष्णु प्रसाद पटेल, ग्राम सिंदोला पो.लाहोद वि.ख.जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493526	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबद	OBC
32	कुसून लता प्रजापति पति श्री हरीश कुमार प्रजापति ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर पो.रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ.ग. 497333	शासकीय कालीदास महाविद्यालय, प्रतापपुर	OBC -F
33	श्री ओंकार प्रसाद साहू आ स्व श्री केशवराम साहू आदर्श नगर वार्ड 30 महासमुंद छ.ग. 493445	शास.महा. सोनहत	OBC
34	श्रीमती हेमपुष्पा नायक पति श्री नवनीत नायक म.नं. 8 गुरु विहार कॉलोनी मुक्तिधाम चौक के पास नया सरकंडा, बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	OBC-F
35	श्री गावरकर कौशिक आ श्री रामवतार ग्राम महाराटोला नयापारा, पो. महाराजपुर तह.कवर्धा जिला-कवर्धा छ.ग. 491995	शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा	OBC
36	श्री शिवकुमार दुबे आ श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, मोहलाईन भाठा, कटघोरा जिला-कोरबा छ.ग. 495445	शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार	UR-OH
37	श्रीमती प्रतीमा चन्द्राकर पति श्री राजेश कुमार चन्द्राकर ग्राम पो. मुनगासेर तह.वागबहरा जिला-महासमुंद छ.ग. 493449	शासकीय चन्द्रपाल महाविद्यालय, पिथौरा	OBC-F
38	श्री उग्रें कुमार राहू आ श्री लक्ष्मण प्रसाद ग्राम कोलिहा पो. चकरभाठा, तह.जिला-मुंगेली छ.ग. 495334	नवीन शासकीय महाविद्यालय, भैरमगढ़	OBC
39	श्री नरेन्द्र कुमार कुलमित्र आ श्री गणेश प्रसाद कुलमित्र जवाहर नवोदय विद्यालय छिंदपाली पो. वट्टीगिरोला(सराईपाली) जिला महासमुंद छ.ग. 493558	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	OBC
40	श्री धर्मेन्द्र कुमार पाटनवार आ श्री मुन्ना लाल पाटनवार ग्राम बितकुला पो. सोढ़ी व्हाया बलौदा जिला बिलासपुर छ.ग. 495559	शास.महा. भोपालपट्टम जिला वीजापुर	OBC
41	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह आ श्री भाव सिंह ग्राम-दामापुर पो.विल्फी बंगला, तह.पंडरिया व्हाया लोरमी जिला-मुंगेली छ.ग. 495115	शासकीय कदना धुरवा महाविद्यालय, छुसा	SC
42	श्री शिव कुमार बजारे आ श्री भारत लाल बजारे मु.पो. मेऊ, तह.पामगढ़ जिला-जाजगीर चांपा छ. ग. 495554	शासकीय महाविद्यालय, नयागढ़ जिला जाजगीर	SC



प्रति,

प्राचार्य

शास.आचार्य पंथ श्री गंधमुनि नाम साहब

पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा, जिला-कबीरधाम ((छ.ग.)

विषय:- सहायक प्राध्यापक, हिन्दी पद पर कार्यभार ग्रहण करने विषयक ।

--00--

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, नया रायपुर द्वारा दिनांक 29.08.2017 को जारी आदेश क्रमांक एफ 1-34/2017/38-1 द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है।


उक्त आदेश के परिपालन में मुझे आज दिनांक 27.9.17 को सहायक प्राध्यापक हिन्दी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें। सधन्यवाद।

दिनांक-27.9.17 11:00 AM-

प्रवर्द्ध


27/09/17


भवदीय


27/09/17

नरेन्द्र कुमार कुलमित्र
राजमहल कलोनी कवर्धा
जिला-कबीरधाम(छ.ग.)

मोबा. 7987817177

व्यापना


27/9/17.

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय आचार्य पंथ श्री गंधमुनीनाम साहब
जी.जी. महाविद्यालय कवर्धा,
जिला - कबीरधाम (द.ग.)

संदर्भ - द.ग. उच्च शिक्षा विभाग कोडेश क्र० 4205/3342/2012/
38-1, दिनांक 25/9/14 ।


विषय - सहायक प्राध्यापक (गणित) पदभार ग्रहण करने बाबत ।

प्रबोध,

निवेदन है कि मैं सुरेन्द्र कुमार मेहर,
पिता - श्री के.आर. मेहर, द.ग. उच्च शिक्षा विभाग के
आदेशानुसार आपके महाविद्यालय में आज दिनांक 01/10/14
पूर्वाह्न ~~सुब~~ 11 बजे, सहायक प्राध्यापक (गणित) के पद
पर कार्यभार ग्रहण कर रहा हूँ ।


संलग्न प्रमाण पत्र - नियुक्ति कोडेश की दायमति और समस्त परीक्षाओं
के अंक सूची और प्रमाण पत्र, जन्म सत्यापन, मेडिकल रीपोर्ट, शपथ पत्र,
पेन कार्ड कीमती, निवास ।
सुधन्यवाद

दिनांक - 01/10/14

श्री लालकर 
11/10/2014

PRINCIPAL
APSGMNS Govt.P.G.
College Kawardha
DISTT.-KABIRDHAM

भवदीय


(सुरेन्द्र कुमार मेहर)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
जिला - बस्तर (छ0ग0)

Phone-07782-229340,

Fax -07782-229340,

Email-kpgcjdp@gmail.com

क्रमांक/ 891 /स्था./2014

जगदलपुर, दिनांक 16.11.2014

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
छ.ग. शासन, रायपुर।

विषय : कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन।

संदर्भ : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1-23/2014/38-1 नया रायपुर
दिनांक 17.11.2014।

ॐ ॐ

उपरोक्त संदर्भित आदेश के अनुसार श्री अनिल कुमार शर्मा की नियुक्ति सहायक प्राध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी में करते हुए पदस्थापना शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में की गई है। आदेश परिपालन में उन्होंने दिनांक 15.12.2014 को पूर्वान्ह में अपने कार्य पर उपस्थित हुए हैं।

कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्राचार्य
शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदलपुर

पृ.क्रमांक/ 892 /स्था./2014

जगदलपुर, दिनांक 16.11.2014

प्रतिलिपि :

1. उप सचिव, उच्च शिक्षा मंत्रालय छ.ग. शासन महानदी भवन, नया रायपुर, छ.ग.।
2. महालेखाकार, छ.ग. जीरो पॉइन्ट विधानसभा रोड, रायपुर।
3. अपर संचालक, उच्च शिक्षा (राजपत्रित शाखा) उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. शासन नया रायपुर।
4. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बस्तर संभाग, जगदलपुर।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जगदलपुर।
6. स्थापना/वेतन देयक कक्ष प्रभारी, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
7. श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी शासकीय पी. जी. महाविद्यालय, जगदलपुर।
8. व्यक्तिगत नस्ती।



प्राचार्य
शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदलपुर



प्राचार्य
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदलपुर

सहायक प्राध्यापक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-1-23/2014/38-1
दिनांक 17.11.2014.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित आदेशानुसार मेरा चयन सहायक प्राध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी के पद पर की जा कर पदस्थापना शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में किये जाने के फलस्वरूप मैं आज दिनांक 15.12.2014 पूर्वाह्न को अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो गया हूँ।

प्रतिवेदन सूचनार्थ सम्प्रेषित।

- संलग्न :
1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंकसूची की छायाप्रति।
 2. नियुक्ति आदेश की प्रति।
 3. शपथ पत्र।
 4. मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

भवदीय

Anil Kumar Sharma

अनिल कुमार शर्मा

सहायक प्राध्यापक, सूचना प्रौद्योगिकी
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर

H.C.
अनिल कुमार शर्मा
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
जगदलपुर
15/12/14

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 7/11/2014

क्रमांक एफ 1-23/2014/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1557/95/2010/चयन दिनांक 16.10.2014 द्वारा सहायक प्राध्यापक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	3	4	5
1	श्री सुशील कुमार केशवप, ग्राम पोस्ट प्रतापपुर जिला सरगुजा 497223	शासकीय आचार्य पथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय कवर्धा जिला कबीरधाम	पि.वर्ग
2	योगेश्वरी महतो c/o लक्ष्मीनारायण महतो, सेक्टर-1, स्टीट नं. 3 प्रोफेसर कालोनी रिंग रोड नं.-1 रायपुर छ.ग.	शासकीय ई राधवेन्द्रराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	अनारक्षित
3	श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल, c/o श्री आर.एस.पिल्लई, परशुराम चौक, टेलीफोन इक्सचेंज रोड प्लाट नं. 156 राजकिशोर नगर बिलासपुर 495001	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	अनारक्षित
4	श्री अनिल कुमार शर्मा, ग्राम-निनवां, पो. मनोहरा, थाना-धरसीवा, तह.तिल्दा जिला-रायपुर	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर।	अनारक्षित
5	श्री तरुणधर दीवान, राजेन्द्र नगर तिवारी, चाल भक्त कंवर राम गेट के सामने बिलासपुर 495001	शासकीय ई राधवेन्द्रराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	अनारक्षित

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
-- 0 --

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 23/07/2016

क्रमांक एफ 1-21/2016/38-1 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा, निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) को स्थानांतरित करते हुये कॉलम नं. 4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है: -

क.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरण प्रश्नात् पदस्थापना स्थल	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	मौसमी जांगड़े	शास. माता कर्मा कन्या महा., महासमुन्द	शास. गजानंद अग्रवाल पी.जी. महा., भाटापारा, जिला-बलोदाबाजार	स्वयं के व्यय पर
2	डॉ. दिप्ति टिकरिहा	शास. महा., नवागढ़, जिला-जांजगीर चांपा	शास. आचार्य गृधमुनी नाम साहब पी.जी. महा., कवर्धा	स्वयं के व्यय पर
3	श्री संतोष कुमार तांब्रे	शास. महा., दीपका, जिला-कोरबा	शास. महा., बरपाली, जिला-कोरबा	स्वयं के व्यय पर
4	श्रीमती अनिता पटेल	शास. नवीन महा., मंगचुआ, जिला-बालोद	शास. स्व. राजा विरेन्द्र बहादूर महा., सरायपाली, जिला-महासमुन्द	स्वयं के व्यय पर
5	श्री आर.बी. सोनवानी	शास. महा., जैजैपुर, जिला-जांजगीर चांपा	शास. महा., रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर	प्रशासनिक
6	श्री सत्येन्द्र सिंह गौतम	शास. नवीन महा., दुर्गकोंदल, जिला-कांकेर	शास. डॉ. भंवर सिंह पोते महा., पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर	स्वयं के व्यय पर
7	श्री एल.सी. मनवानी	शास. डॉ. भंवर सिंह पोते महा., पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर	शास. नवीन महा., दुर्गकोंदल, जिला-कांकेर	प्रशासनिक
8	श्री विनोद जेना	शास. महा., सरोना, जिला-कांकेर	शास. नागार्जुन विज्ञान पी. जी. महा., रायपुर	स्वयं के व्यय पर
9	प्रो. सरोज कुमार	शास. कि. पी.जी. महा., रायगढ़	शास. महा., सरोना, जिला-कांकेर	प्रशासनिक


2- उक्त आदेश स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17 के तहत जारी की गई है एवं माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

3- स्थानांतरण नीति के अनुरूप जिस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है, उन्हें एवजीदार आने के पश्चात् ही कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

4- स्थानांतरण के संबंध में पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजने की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

उक्त शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(डॉ. समरेन्द्र सिंह)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहब

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा

जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :- रसायन शास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-21/2016/38-1 नया रायपुर 23.07.2016 एवं कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा के आदेश क्रमांक 39/स्था./2016 नवागढ़ दिनांक 27.07.2016।

---000---

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक 1-21/2016/38-1 नया रायपुर दिनांक 23.07.2016 द्वारा भेरा स्थानांतरण नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) से आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा, जिला - कबीरधाम (छ.ग.) में हुआ है। कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 39/स्था./2016 नवागढ़ दिनांक 27.07.2016 को मुझे कार्यमुक्त किया गया है।

अतः मैं डॉ० दीप्ति टिकरिहा रसायन शास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर दिनांक 28.07.2016 को पूर्वाहिन आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा, जिला - कबीरधाम (छ.ग.) में कार्यभार ग्रहण करती हूँ। अतः कार्यभार प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

डॉ० दीप्ति टिकरिहा

पता - सेक्टर -11, जोन-1

खुर्सीपार सड़क नं. 16 क्वार्टर नं.1/E

पावर हाऊस भिलाई (छ.ग.) 490011

मो.नं. 9827965195

Received

28/7/16

प्रति;



श्री मान प्राचार्य महोदय,
आचार्य, श्री गन्धमुनि नाम साख्य पी.पी. महाविद्यालय कबीरखम

विषय:- पदभार ग्रहण करने का
महोदय.

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं, मुकेश कामले
दक्षीणगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग में जालय महानदी
भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-27/2017/38-1
दिनांक 29/08/2017 द्वारा सहायक प्राध्यापक (समाप्ताह)
पद आपके अधिनस्थ शासकीय आचार्य पं. श्री गन्धमुनि
नाम साख्य पी.पी. महाविद्यालय, कवर्धा में पदस्थ हुआ हूँ,
महोदय, उपरोक्त आदेश के पालन में मैं आप
दिनांक 07/09/2017 को अपरान्ह पदभार ग्रहण करना चाहता,
कृपया पदभार ग्रहण की स्वीकृति की अनुमति प्रदान
करने की कृपा करेंगे।

सी.बी. चन्डवंशी
चापना शाखा

Pranav
7/9/17

दिनांक
07/09/17

प्रार्थी
Mukesh Kamle
मुकेश कामले 7/9/17

संलग्न:- ① द.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग
द्वारा जारी आदेश की धाराप्रति

- ② अनुप्रमाणन पत्र में संलग्न समस्त
दस्तावेज की धाराप्रति
- ③ मेडिकल सर्टिफिकेट की मूल प्रति
- ④ शपथपत्र की मूल प्रति।

सहायक प्राध्यापक (समाप्ताह)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर


-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-27/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1037/22/चयन/17/O दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशासित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री सुशील कुमार गुप्ता आ.स्व श्री उमाशंकरगुप्ता, म.नं. 426 वार्ड नं. 2 तुलसीनगर कोरबा छ.ग. 495677	शासकीय इजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	UR
2	स्नेहा थवायत आ. श्री सत्येन्द्र कुमार चौरसिया, कोआपरेटिव बैंक के पीछे, गांधी चौक जांजगीर, जिला-जांजगीरचापा छ.ग. 495668	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जांजगीर	OBC/ UR-F
3	श्री तिलक चन्द्र देवांगन आ.श्री पूरन सिंह देवांगन, ग्राम-सम्बलपुर, पो.बमनीबाजार जिला कोण्डागांव, छ.ग. 494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल	OBC/ UR
4	श्री मुकेश कुमार कामले आ.श्री पंचराम कामले, सहायक जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल, जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	SC/ UR
5	श्री तरुण कुमार पदमवार आ.उमेन्द्र सिंह पदमवार, म.क. 868 के शिवशंकर होटल के पीछे महादेवघाट चौक रायपुर छ.ग. 492013	शासकीय महाविद्यालय, धमधा	UR
6	श्री धर्मेन्द्र कन्नौज आ.श्री.के.एन कनौज, 201 जी रिसाली सेक्टर मिलाई नगर, जिला-दुर्ग छ.ग. 490006	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	OBC/ UR
7	श्री मधुसूदन सिंह राजपूत आ. श्री जयजयराम राजपूत, ग्राम-सेमरिया, पो.साफल,तह. लोरमी,जिला मुंगेली छ.ग. 495115	शासकीय इन्दिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया	UR
8	श्री गौतम कुमार कुर्रे आ.श्री अनन्तु कुमार कुर्रे,मु.पो.-बिटकुली, ढ्हाया, तह. थाना-बिल्हा, जिला विलासपुर छ.ग. 495224	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	SC/ UR
9	श्रीमती निधि सिंह पति श्री अरुण कुमार सिंह, हाउस क. 16 कालीमाई वार्ड,मुंगेली, जिला -मुंगेली छ.ग. 495334	शासकीय राजीवगांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	UR-F





कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक

/अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 01-09-18

—:: आदेश ::—

प्रति,

.....
श्रीमती काकुर
.....
कवर्धा, कवर्धा
.....
कबीरधाम (छ.ग.)
.....

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन
जारी शासन विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।


आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देंगे । मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं ।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे ।

क्रमशः2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं व 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रूपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।


प्राचार्य


आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा (C. G.)

पृ.क्रमांक / अ.व्या. / 2018
प्रतिलिपि :-

कवर्धा, दिनांक 01.09.18

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष,आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01c


प्राचार्य 1.9.18
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 657 / अ.ब्या. / 2018

कवर्धा, दिनांक 27.08.18

प्रति,

श्री. शा.का. श्री. वि. ए. त. व.
रायपुर रोड, कवर्धा
कबीरधाम (छ.ग.)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन रा. ए. वि. ए. त. व. विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ;

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्त :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं ।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे ।

क्रमशः2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रूपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

[Handwritten Signature]
2.8.18

प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 608 /अ.व्या./2018
प्रतिलिपि :-

कवर्धा, दिनांक 07-08-18

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष,आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

O/c

[Handwritten Signature]
2.8.18

प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 684 / अ.व्या. / 2018

कवर्धा, दिनांक 21.08.18

प्रति,

..... कृष्ण कुमार खोसला
..... बलाराम खोसला
..... (क.ग.ग.)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन इतिहास विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें । मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मूलतः होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं ।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे ।

क्रमशः2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रू. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रूपये) तथा प्रतिमाह रू. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी।

21.8.18

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा, जिला-कवर्धा (छ.ग.)

कवर्धा, दिनांक 21.08.18

पृ.क्रमांक 685 /अ.व्या./2018
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष, आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c

21.8.18

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा, जिला-कवर्धा (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 596 /अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 06.08.18

प्रति,

डा. ज्योत्सना लकड़ा

MIC, 1/36, MP. नंदा. ext.

कोरवा (छ.ग.)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन समाप्त 21.1.18 विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।


आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमशः2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रूपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।



प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शासकीय कवर्धा
कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
कवर्धा, दिनांक 6/8/2018

पृ.क्रमांक 597 /अ.व्या./2018
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष,आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

O/C


प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शासकीय कवर्धा
कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
कवर्धा, दिनांक 6/8/2018

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 770 /अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 12-09-18

--:: आदेश ::--

प्रति,

.....
.....
.....
.....

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देंगे । मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं ।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे ।

क्रमशः2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रू. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रूपये) तथा प्रतिमाह रू. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

प्राचार्य
Principal
APSGMNS
Government P.G. College
Kawardha Dist. Raipur (C.G.)
कवर्धा

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा, दिनांक 12.09.18

पृ.क्रमांक 780 / अ.व्या. / 2018
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष,आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य
Principal
APSGMNS
Government P.G. College
Kawardha Dist. Raipur (C.G.)
कवर्धा

o/c

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 775 / अ.व्या. / 2018

कवर्धा, दिनांक 12.09.18

--: आदेश :-

प्रति,

Rukmani Gendle
near Vidya Niketan sch.
Bardhwanpur, Sankunda, Bilaspur

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन अधिसूचना विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमशः2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

प्राचार्य

12.5.18

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 12.5.18

पृ.क्रमांक 776 /अ.व्या./2018
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष,आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य

12.5.18

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

DL

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृध्र मुनि नाथ साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 804 /अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 17/09/2018

प्रति,

बि.कू. - 43 वंश
ग्राम - पो. 62 - कु. 155
तह - प. 05 रिया, जिला कबीरधाम 491559

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृध्र मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन ~~समान शर्तों~~ विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।


आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देंगे। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आवरण) नियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित दर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमशः2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी।


9-18


प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

पृ.क्रमांक 805 /अ.व्या./2018

प्रतिलिपि :-

कवर्धा, दिनांक 19/03/2018

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष, ~~समाप्त शाखा~~ आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


Principal
N.S. Govt. PG
College, Kawardha (C.G.)

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 982 / अ.व्या. / 2018

कवर्धा, दिनांक 26-10-18

—:: आदेश ::—

प्रति,

विवेक शौचम
विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग
(कवर्धा)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन ~~आपके द्वारा~~ विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देंगे। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था-आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमशः2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रूपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
Kawardha Dist. Kawardha (C.G.)

कवर्धा, दिनांक 26.10.18

पृ.क्रमांक 983 /अ.व्या./2018
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष,आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
Kawardha Dist. Kawardha (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक ११० /अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक ३०.०७.१८

—:: आदेश ::—

प्रति,

.....Sajid Ahmad Ganai.....
.....Baramulla Kashmir.....
.....CJ 8/K.....

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन इतिहास विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें । मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं ।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे ।

क्रमशः2

- 2 -

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

30/11/18

प्राचार्य
Principal
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

पृ.क्रमांक 991 /अ.व्या./2018
प्रतिलिपि :-

कवर्धा, दिनांक 30/11/18

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष,आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

0/4

30/11/18

प्राचार्य
Principal
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 1047 /अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 22.11.18

--: आदेश :-

प्रति,

श्री सुनील सुर्यवंशी
पी.ओ. जी.ओ. कॉलेज
कवर्धा (कबीरधाम)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन गुणोत्तर विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।


आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देंगे। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमशः2


- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।


Principal
A.P.S.G.M.N.S.
Government P.G. College
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
Kawardha Dist. Raipur (C.G.)
कवर्धा

पृ.क्रमांक 1048 /अ.व्या./2018
प्रतिलिपि :-

कवर्धा, दिनांक 22-11-18

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष,आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


Principal
A.P.S.G.M.N.S.
Government P.G. College
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
Kawardha Dist. Raipur (C.G.)
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 112/ /अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 05-12-18

—:: आदेश ::—

प्रति,

श्वानि पाठेय
सदर रोड, तखतपुर
जिला- कबीरधाम

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।


अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमशः2

- 2 -

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।



प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
A.P.S.C.M.N.S. College
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा


पृ.क्रमांक 1121-A/अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 25.12.18

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष,आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

O/C



प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
A.P.S.C.M.N.S. College
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य,
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 883...../स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 14-10-19

- :: आदेश ::-

प्रति,

फेदराम साहू
सबेबा, कवर्धा
कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन मनोविज्ञान विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।


आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देंगे । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है ।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी।



प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

पत्र क्रमांक 884/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 14/10/19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिताधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

O/C



प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

883, 884

कार्यालय प्राचार्य,
आचार्य पंथ श्री गृन्ध गृनिनाग साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 727 /स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 12.09.19

- :: आदेश ::-

प्रति,

दुर्जित कुमार साहू
बच्चा, कारभारी
कैमठरा (दूबारा)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन रसम विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्त :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है ।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी।

प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
12/09/19

पत्र क्रमांक 728...../स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 12-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

o/c

प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
12/09/19

कार्यालय प्राचार्य,
आचार्य पंथ श्री गृन्ध गृनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 729 /स्था./ 2019

कवर्धा, दिनांक - 12-09-19

- :: आदेश ::-

प्रति,

चे.प्र.पं. साहेब
मिलान, युवा
(कवर्धा)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन प्रा.वि. विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है ।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी।

Principal
12/09/19
प्राचार्य
A.P.S. Govt. P.G.
College, Kawardha
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

पत्र क्रमांक 730...../स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 12-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कवीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

O/C

Principal
12/09/19
प्राचार्य
A.P.S. Govt. P.G.
College, Kawardha
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य,
गणेश श्री गण्डा मुनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
कार्यालय प्राचार्य,
आचार्य पंथ श्री गृन्धा मुनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला-कवीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक २३५ /स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 13-09-19

- :: आदेश ::-

प्रति,

द्विेश चंद्राकर
कुडा, पठरिया
कवीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन B.C.A. विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत् नहीं है ।
5. कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रू. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलींग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

13/05/19
13/05/19
Principals
Govt. Post Graduate College
Kewlath
Distt. Kullu
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

पत्र क्रमांक 735/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 13/05/19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

014

13/05/19
13/05/19
Principals
Govt. Post Graduate College
Kewlath
Distt. Kullu
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य,
आचार्य पंथ श्री गृन्था गुनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 743 /स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 16.09.19

- :: आदेश ::-

प्रति,

हेमंत बार्मा
पुराना कट्टरी पावा
रोड छाई नं. 13
कवर्धा, कबीरधाम

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन ~~प्रोविजनरी~~ विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देंगे । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्त :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं ।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

16/9/19
Principal
Govt. Post Graduate College
Kawārahe
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

पत्र क्रमांक 244...../स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 16-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

16/9/19
Principal
Govt. Post Graduate College
Kawārahe
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

O/C

कार्यालय प्राचार्य,
आचार्य पंथ श्री गृन्हा गुनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 256/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 12/09/19

- :: आदेश ::-

प्रति,

राधेलाल साहू
चुधरी कले, कवर्धा
कबीरधाम

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रायती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन ~~करा~~ विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं ।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी।

19/9/19
प्राचार्य
Principal
A.P.S.G.M.N.S.Govt.P.G.
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
College-Kawardha (C.G.)
कवर्धा

पत्र क्रमांक 757/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 19-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कवीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

0/2

19/9/19
प्राचार्य
Principal
A.P.S.G.M.N.S.Govt.P.G.
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
College-Kawardha (C.G.)
कवर्धा

पत्र क्रमांक 770 / स्था. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 23-09-19

- :: आदेश ::-

प्रति,

खेमन लाल लाल
रामलाली, कुमका
राजनाथराव
कवर्धा


कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन समाप्त विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देंगे । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है ।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।



Principal
A.P.S.G.M.N.S. Govt P.G.
College-Kawardha (C.G.)
नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

पत्र क्रमांक 771/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 23-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

o/c


Principal
A.P.S.G.M.N.S. Govt P.G.
College-Kawardha (C.G.)
नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य,
आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 1026/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 1.8.19

- :: आदेश ::-

प्रति,

कैशिक कुमार लाडू
कचदारी पार,
कैमेटरा (६००१०)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका दिल्ली विभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्त :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है ।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रू. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

प्रचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
Distt. Kabirdham (C.G.)

पत्र क्रमांक/027...../स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 13-11-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
Distt. Kabirdham (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मृनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 1329/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 04-01-2020

- :: आदेश ::-

प्रति,

उमेश कुमार ~~सहस्रज्युत~~
श्रीम कोलमंडा, सिरोनी
कवर्धा, कबीरधाम

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका प्रावीण्य विभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है ।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रू. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक - 04-01-2020

पत्र क्रमांक 1330/स्था./2019

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

o/c

प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य,
आचार्य पथ श्री गृह्य गुणिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला-कलीरधाम (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 767/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 21-09-19

- :: आदेश ::-

प्रति,

निखिता रामदेव
आमंत्रण-पत्र
मोतीपुर, राजनांदगांव
(छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन छिदी विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है ।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देंगे । मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे ।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी ।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं ।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे ।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी।

21/09/19
प्रचार्य
Principal
Govt. Post Graduate College
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
Kawardha
Distt. Kabirdham (C.G.)

पत्र क्रमांक 768/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 21-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

21/09/19
प्रचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
Govt. Post Graduate College
Kawardha
Distt. Kabirdham (C.G.)

0/c



आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध

email ID : govtpgcollege.kawardha@gmail.com, Website: www.pgcollegekawardha.edu.in

पत्र क्रमांक 1092/स्था./2021

कवर्धा, दिनांक - 12/03/21

- :: आदेश ::-

प्रति,

श्री योगेश्वर लाडू
डा. लक्ष्मीराम लाडू
पता - लोनपुरी, कवर्धा
कबीरधाम, 9685463565

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर दिनांक 23.02.2021 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु इस महाविद्यालय के ~~कबीरधाम~~ विभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रू. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक - 12/03/21

पत्र क्रमांक 1093/स्था./2021

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

O/C

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा



शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध

email ID : govtpgcollege.kawardha@gmail.com, Website: www.pgcollegekawardha.edu.in

पत्र क्रमांक1089...../स्था./2021

कवर्धा, दिनांक - 12/02/21

- :: आदेश ::-

प्रति,

श्री हरिशंकर साहू
S/O, उषोल साहू
पता - सिंघन बाड़, कवर्धा
कबीरधाम, म्ब- 722501/72

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर दिनांक 23.02.2021 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु इस महाविद्यालय के ~~श्री. उषोल साहू~~ विभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रू. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलींग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

PRINCIPAL प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
DISTT-KABIRDHAM कवर्धा

कवर्धा, दिनांक - 12/03/21

पत्र क्रमांक 1090 /स्था./2021

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

PRINCIPAL प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
COLLEGE KAWARDHA
DISTT-KABIRDHAM कवर्धा

d/c



आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ब.)
हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध

email ID : govtpgcollege.kawardha@gmail.com, Website: www.pgcollegekawardha.edu.in

पत्र क्रमांक 1077/स्था./2021

कवर्धा, दिनांक - 10/03/21

- :: आदेश ::-

प्रति,

कृ. रमेश लुके
रायपुर (कवर्धा)
9993392019
9644140500

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर दिनांक 23.02.2021 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु इस महाविद्यालय के राजनीति विभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्त :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे।

क्रमशः 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी।

प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
DISTT-KAWARDHAM
कवर्धा, दिनांक -

पत्र क्रमांक/स्था./2021

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कवर्धा
DISTT-KAWARDHAM